

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

उनका नं. २१०१/१८ मकदमा नं० ३

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नध्वर य तारीख अहकाम जो हुकम की नामील में जारी हुए
२१/०१/१८	<p>पत्रावली पेश हुई / बकील प्राणी उपस्थित बकील प्राणी की बहरन सुनी गई / बहरन पर कानून बिया जमा एवं पत्रावली का जमा बिया जमा / पत्रावली के उपलक्ष्य व्यवस्था बिक्री जमाने का ब्यापक अंश २०६७- २०७२ तकें ग्राम भागडोली के अन्तर्गत १२२ नं. कपुरा प्राणी विभागात् हाथार का अन्तर्गत बाराणा एवं बिक्री है। जय द्वारा विवाहित बाराणा का बिक्री २५/६/२०१७ का प्रमाण प्राप्त हुआ पुनी है। परन्तु हाथार पडोसियों के बीच विवाद कही हो सके। पडोसियों से कोई अज्ञात ज. हा. २२१/१२२ जयों को पारदर्शी करावा कायरेमं हुआ है एक स्वयंसेवक को अज्ञात आगेकार का बिक्री की रक्षा सुरक्षा है। पर १२८ L.R. Act के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में प्राणी का का पत्र बिक्री स्वीकार है।</p> <p>अतः आदेश है कि का पत्र बिक्री गति द्वारा १२८ L.R. Act स्वीकार किया जागा है तथा अज्ञात (बाणागरी) को आ. नं. ७८/१ अथवा १-५९००, ७८२, ७८३, ७८५, ७८६ ०-१२००, ०-३७००, ०-०२००, ०-१६०० है। लक्ष्मी ग्राम भागडोली की पारदर्शी पडोसियों की आपुकी के करने के आदेश दिए जाते हैं। कालमें अज्ञात अज्ञात (बाणागरी) जमा है। बिक्री कारण सुरक्षा हेतु अज्ञात से जय की जय का १/२२/१२ अज्ञात करवा है।</p>	<p>पत्रावली गरी करी ने में सहमत है बिक्री माली</p>

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)